**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ**
**पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस**

अपील संख्या – 316/2017/225 आर टी ए

सुरेन्द्र कौर पत्नि जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर हाल आबाद सिविल लाईन हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

**बनाम**

त्हसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––– रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30.06.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी संगरिया प्र0सं0 30/2014 बअनवानी सुरेन्द्र कौर बनाम तहसीलदार राजस्व

उपस्थित :–

श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरणसिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–05.03.2018

1. प्रकरण के तथ्यं संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता स्वीकृति पेश किया कि अपीलांट की चक 19 एमकेएस के खाता सं. 79/64 प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16/1/0.126, 25/1/0.127 व प. न. 150/235 मु.न. 34 कि.न. 1, 10, 11, 12, 20 कुल 1.518 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तथा प.न. 149/234 के कि.न. 16 मे हनुमानगढ़ संगरिया मुख्य सड़क निकलती है। प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16/0.126 व 25/1/0.127 तथा प.न. 149/234 मु.न. 31 के कि.न. 16 के उतरी पश्चिमी दिशा मे सड़क व अपीलांट की भूमि के बीच सड़क की सरकारी भूमि है। यह भूमि राजस्व रिकार्ड मे किसी के नाम दर्ज नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व भू–राजस्व अधिनियम के तहत जो भूमि किसी के तहत दर्ज नही हो तो वह भूमि सरकार की है। इस स्थिति मे प.न. 149/234 कि.न. 16 मे शेष 8 बिस्वा किसी के नाम दर्ज नही होने के कारण सरकारी भूमि है अपीलांट की भूमि के लिए आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है अपीलांट को रास्ता की आवश्यकता है। इसलिए अपीलांट ने हनुमानगढ़ संगरिया मुख्य मार्ग से प.न. 149/234 के कि.न. 16 मे 82½ गुणा 165 के पश्चिमी उतरी ओर 24 फुट चौडा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने का अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का रास्ता का आवेदन को खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सूचना दिये बिना उक्त पत्रावली राजस्व लोक अदालत मानकसर मे

दिनांक 30.06.2017 को अपीलांट को सुने बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए खारिज करने के आदेश पारित किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की रिपोर्ट के आधार पर आक्षेपित आदेश मे यह विवेचना करते हुए कि अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता विशिष्ट किलायात मे सिवाय चक नही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना न्यायोचित नही है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 की यह जबवादेही है कि प.न. 149/234 कि.न. 16 मे 0.126 है0 भूमि अपीलांट की व 0.126 है0 भूमि रमेशकुमार पुत्र धर्मदास की है तथा उक्त किला मे शेष भूमि सरकारी भूमि नही है। रेस्पो0 ने अपने जवाब मे शेष किसकी है इस संबंध मे कोई कथन नही किये लेकिन अपनी रिपोर्ट दिनांक 02.12.2016 मे उक्त कि.न. 16 मे शेष 8 बिस्वा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की होने के कथन किये लेकिन इस संबंध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। उपरोंक्त भूमि सार्वजनिक विभाग की ही हो तो अधीनस्थ न्यायालय को सार्वजनिक निर्माण विभाग को पक्षकार बनाकर आदेश पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की रिपोर्ट के आधार पर रास्ता के रूप मे चाही गई भूमि सिवाय चक की न होने का आधार लेकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.11.16 को रेस्पो0 से निम्न पांच बिन्दू बिन्दू सं. 1 अपीलांट वर्तमान मे अपने खेत मे आवागमन कौनसी जगह/रास्ता से कर रहा है व बिन्दू सं. 2 प्रार्थी के निकटतम दूरी से कौनसा कटाणी रास्ता गुजरता है व बिन्दू सं. 3 अपीलांट के पास से गुजरने समस्त कटानी रास्ता मे से कौनसे रास्ता से अपने खेत मे आवागमन हेतु अपीलांट को आसानी रहती है बिन्दू सं. 4 क्या अपीलांट को दिया जाना आवश्यक है बिन्दू सं. 5 क्या अपीलांट को कोई वैकल्पिक व्यवस्था नही है पर रिपोर्ट मांगी। रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी पत्र मे वर्णित बिन्दूओ पर कोई रिपोर्ट न देकर अपनी ओर से प्रश्नगत रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र अपीलांट खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट की कृषि भूमि चक 19 एमकेएस के प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16/0.126 व 25/0.127 पूर्वी ओर के लिये प.न. 149/234 के कि.न. 16 मे पूर्वी ओर साईज 82½ गुणा 165 के चिपते पश्चिमी उतरी ओर 24 फुट चौडा व 33 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रार्थीया के नाम से चक 19 एमकेएस के खाता सं. 92/70 प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16/1/0.126, 25/1/0.127 व प.न. 150/235 मु.न. 34 कि.न. 1, 10, 11, 12, 20/1.265 कुल 1.518 है0 भूमि खातेदारी दर्ज होना एवं प्रार्थीया द्वारा प.न. 149/234 मु.न. 31 के

कि.न. 16/0.126 मे कृषि भूमि उतर दिशा मे सड़क व प्रार्थीया की भूमि के मध्य सड़क की सरकारी जगह होना तथा यह भूमि राजस्व रिकार्ड मे किसी के नाम से भी दर्ज नही है। इसमे रास्ता स्वीकृत किये जाने की मांग करना गलत है। प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16 मे 0.026 है0 भूमि रमेश कुमार पुत्र धर्मदास के नाम दर्ज है जिसे पक्षकार नही बनाया है एवं शेष भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है। इसी आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क आरटीए खारिज किया गया है। जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश मे उल्लेखित किया है कि ''तहसीलदार संगरिया द्वारा मुताबिक जमाबंदी कोई रकबाराज नही होना बतलाते हुए प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता विशिष्ट किलेजात मे सिवाय चक नही होने के कारण प्रस्तावित किया जाना न्यायोचित नही माना है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण उक्त रास्ता प्रकरण मे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।'' जबकि रेस्पो0 सं. 1 ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है कि प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16 मे 0.026 है0 भूमि रमेशकुमार के नाम दर्ज है तथा शेष भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है जिसे पक्षकार नही बनाया गया है।

6. अपीलांटस को अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता परम आवश्यकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 सं. 1 की रिपोर्ट के आधार पर प.न. 149/234 मु.न. 31 कि.न. 16 मे 0.026 है0 भूमि रमेशकुमार के नाम दर्ज है तथा शेष भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है, के कारण अपीलांट द्वारा इन्हे पक्षकार नही बनाये जाने के कारण रास्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण यथावत रखा जाना न्यायोचित नही है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि मे रास्ते की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुये रास्ता के संबंध मे मौका निरीक्षण रिर्पोट प्राप्त कर प्रश्नगत रास्ता से प्रभावित पक्षकार को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाकर रास्तों के प्रकरणों का निस्तारण किया जाना आपेक्षित है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलाण्ट

स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.06.2017 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के संबंध मे रास्ता संबंधी मौका रिर्पोट प्राप्त करने के उपरांत प्रश्नगत रास्ता से प्रभावित काश्तकारान को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार रास्ता के आवेदन का 3 माह मे निस्तारण करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ